छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक / 1243 / 05 / विज्ञापन / 2010 रायपुर, दिनांक 01 / 02 / 2012

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्र. 01/2012/परीक्षा/दिनांक 01/02/2012

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर **''राज्य सेवा परीक्षा–2011''** के **कुल रिक्त – 302 पदों** की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 06 / 2011 / परीक्षा / दिनांक 26.12.2011 जारी किया गया था, जिसका ''रोजगार और नियोजन'' के अंक दिनांक 28.12.2011 में प्रकाशन हुआ था।

(2) आयोग द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्र. एफ 2–08 / दो–गृह / रापुसे / 2012 दिनांक 27.01.2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 3–2 / 2002 / 1–3, दिनांक 30.01.2012 द्वारा **निम्नानुसार प्रस्ताव भेजा है:–**

- **(i)** ''वर्ष 2011–2012 में आयोजित होने वाली उप पुलिस अधीक्षक की चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 के नियम 8(1) के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण करते हुए, 3 वर्ष की छूट प्रदान करता है।
- **(ii)** ''वर्ष 2011 की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाए।''
- **(iii)** ''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के नियम–5 के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाए जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक रहेगी।''

(3) उपर्युक्त पैरा (2) के अनुसार आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 06 / 2011 / परीक्षा / दिनांक 26.12.2011 में **निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–**

- **(i)** विज्ञापन के कंडिका (8.1)(A) में **''उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है''** के स्थान पर **''उप पुलिस अधीक्षक हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 31 वर्ष होगी''** पढ़ा जाए।
- **(ii)** विज्ञापन के कंडिका (8.2)(A)(i) में **''परन्तु छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी''** के स्थान पर **''परन्तु छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष होगी''** पढ़ा जाए।
- **(iii)** विज्ञापन के कंडिका (8.2)(A)(iv) के पश्चात् **''कंडिका (8.2)(A)(v) – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के नियम–5 के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी''** जोड़ा जाता है।

(4) विज्ञापन की कंडिका (19) के पश्चात् **''कंडिका (20) अनर्हता – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।''** जोड़ा जाता है।

(5) आयोग द्वारा उपर्युक्त संशोधन के आधार पर विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **16.02.2012 रात्रि 12:00 बजे** तक होगी तथा त्रुटि सुधार दिनांक 17.02.2012 अपरान्ह 12:00 बजे से 27.02.2012 रात्रि 12:00 बजे तक किया जा सकेगा।

(6) आयोग द्वारा प्रकाशित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित संशोधन के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा–2011 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 06 / 2011 / परीक्षा / दिनांक 26.12.2011 प्रकाशन दिनांक 28.12.2011 की शेष शर्तें / कंडिकाएं यथावत रहेगी।

हस्ता / –
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर